

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी
तहसीलदार, नीमकाथाना बनाम

मुकाम नीमकाथाना
गै.मु.रास्ता (जोड़ली)

(जोड़ली ट्यूबवैल से ढाणी गुजरान तक)

किस्म मुकदमा :- गै0मु0 रास्ता धारा 131 व 132

मु0नं0 784 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/1553.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

09-11-2025

पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2025/712 दिनांक 12.05.2025 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 में गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हुयी। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना ने बताया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है। तहसीलदार, नीमकाथाना को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व (गुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज-6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम जोड़ली पटवार मण्डल झिराणा तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 150 रकबा 3.41 हैक्ट. किस्म बारानी-3 मे से 0.02 हैक्ट., खसरा नम्बर 154 रकबा 1.09 हैक्ट. किस्म बारानी-2 मे से 0.09 हैक्ट., खसरा नम्बर 264/155 रकबा 0.25 हैक्ट. किस्म बारानी-2 मे से 0.03 हैक्ट., खसरा नम्बर 189 रकबा 0.24 हैक्ट. किस्म बारानी-1 मे से 0.02 हैक्ट., खसरा नम्बर 167 रकबा 0.20 हैक्ट. किस्म बारानी-1 मे से 0.0080 हैक्ट., खसरा नम्बर 196 रकबा 0.23 हैक्ट. किस्म बारानी-1 मे से 0.02 हैक्ट., खसरा नम्बर 197 रकबा 0.13 हैक्ट. किस्म बारानी-1 मे से 0.0150 हैक्ट., खसरा नम्बर 65/1 रकबा 0.20 हैक्ट. किस्म चाही-3 मे से 0.03 हैक्ट., खसरा नम्बर 61 रकबा 1.59 हैक्ट. किस्म बारानी-2 मे से 0.0090 हैक्ट., खसरा नम्बर 315/66 रकबा 0.62 हैक्ट. किस्म बारानी-2 मे से 0.0080 हैक्ट., खसरा नम्बर 127 रकबा 0.28 हैक्ट. किस्म बारानी-2 मे से 0.04 हैक्ट. खसरा नम्बर 126 रकबा 1.29 हैक्ट. किस्म चाही-3 मे से 0.04 हैक्ट., खसरा नम्बर 152 रकबा 0.81 हैक्ट. किस्म चाही-3 मे से 0.05 हैक्ट. का कुल चौड़ाई 04 मीटर व लम्बाई 1000 मीटर रास्ते (जोड़ली ट्यूबवैल से ढाणी गुजरान तक) का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू है एवं बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत झिराणा का प्रस्ताव व अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है। प्रस्ताव के साथ जमाबन्दी, ट्रेस नक्शा, भू-नक्शा गुगल नक्शा, फोटोग्राफ व खातेदारान का सहमती शपथ पत्र संलग्न है। प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली का अवलोकन व मौका निरीक्षण करने पर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू पाया गया। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने हेतु पक्षकारान भी सहमत है। अतः



(Handwritten signature)

जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शों में तरमीम की जावे। उक्त गै.मु.रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही रहेगा। तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी,

नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (राज.)